

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित होने न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)
लम्बाई :- 8.50 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से 138 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। कोट्टी भी वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रानीखेत

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

वन अन्त्राधिकारी
मोहान रेंज,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

सहस्रीनदार भिकियाखण्ड
जिला अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
जिला-अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

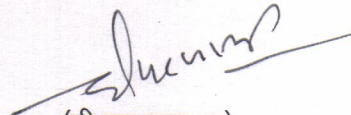
2.14 B

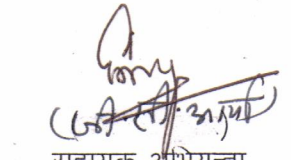
दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

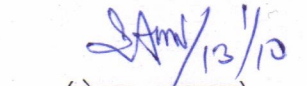
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)
लम्बाई :- 8.50 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.537 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 1.074 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।




(डी.एस.जरमाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(एस.एस.जरमाल)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


(के.एस. असवाल)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)